



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) संख्या 1167/2020

जयादेवी पति स्वर्गीय अमर सिंह ठाकुर, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी विकास नगर, कुसमुंडा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़दावेदार, जिला:कोरबा, छत्तीसगढ़

.....अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

- 1 - मणिराम पिता संतराम, निवासी-ग्राम बतारी, पुलिस थाना दीपका, तहसील पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़, जिला:कोरबा, छत्तीसगढ़
- 2 - नंदकिशोर अग्रवाल, पिता स्वर्गीय श्री मातादीन अग्रवाल, आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी-कमल ट्रेडर्स, पाली रोड, दीपका, जिला कोरबा छत्तीसगढ़, जिला:कोरबा, छत्तीसगढ़

..... उत्तरवादी(गण)

अपीलार्थी (गण) के लिए

: श्री दशरथ कुशवाहा, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण के लिए

: श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रस्तावित उत्तरदाता/यूनाइटेड इंडिया :
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए

श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता।

एकल पीठ: माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

पीठ पर पारित निर्णय

दिनांक 07/05/2025

1. व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अंतरिम आवेदन सं. 4 एवं और व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत अंतरिम आवेदन संख्या 2 जो उत्तरवादीगण सं. 1 और 2 की ओर से दायर किया गया है।



2. उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री एच. पी. अग्रवाल ने तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान दावा अधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णय में प्रतिकर को बढ़ाने के लिए दावेदार द्वारा दायर अपील में जारी किए गए सूचना की प्राप्ति के बाद, उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 ने उससे संपर्क किया और यह सूचित किया कि विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता ने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी है और दिनांक 16.06.2018 को दुर्भाग्यशाली वाहन के बीमा के संबंध में तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने तर्क दिया कि वाहन के मालिक ने दुर्घटना की तिथि से पहले एजेंट पीआर दमाहे को प्रीमियम राशि सौंप दी थी, यद्यपि, जब दुर्घटना के बाद वाहन के मालिक ने पॉलिसी सौंपने के लिए उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने 16.06.2018 को प्रस्ताव 'फॉर्म' तैयार किया और उसी दिन कार्यालय में जमा कर दिया और दिनांक 16.06.2018 को लगभग शाम 5:00 बजे पॉलिसी तैयार की गई: उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि दिनांक 16.06.2018 को शनिवार था और महीने के सभी शनिवारों पर बीमा कंपनी का कार्यालय बंद रहता है और इसलिए, प्रस्ताव प्रपत्र तैयार करना और उसी दिन अर्थात् शनिवार को बंद होने पर पॉलिसी तैयार करना यह दर्शाता है कि प्रस्ताव प्रपत्र और बीमा पॉलिसी वाहन की दुर्घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद तैयार की गई थी।
3. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि लिखित कथन/जवाब में संशोधन किसी भी समय और कार्यवाही के किसी भी चरण में किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने उत्तर पूर्वी रेलवे प्रशासन, गोरखपुर विरुद्ध भगवान दास (मृत), द्वारा विधिक उत्तराधिकारी (2008) 8 SCC 511 के प्रकरण में लिए गए निर्णय का अवलंब लिया है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 ने भी व्य०प्र०सं०



के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है ताकि अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य अर्थात् प्रस्तावित उत्तरवादी /यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी बीमा पॉलिसी की प्रति को लाया जा सके। उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उत्तरवादी संख्या 2 के अधिवक्ता की गलत सलाह के कारण बीमा पॉलिसी की प्रति विद्वान अधिकरण के समक्ष अभिलेख पर नहीं लाई जा सकी, जबकि दुर्घटना की तिथि से पहले प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

4. अपीलार्थी/दावेदार के विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ कुशवाहा ने उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया है।

5. प्रस्तावित उत्तरवादी/यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दशरथ गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने व्य०प्र०सं० के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन के जवाब के साथ अनुलग्नक आर-1 के रूप में प्रस्ताव 'प्रपत्र' की प्रति अभिलेख में प्रस्तुत की है और प्रस्ताव प्रपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव प्रपत्र दिनांक 16.06.2018 को लगभग शाम 6:00 बजे पर भरा गया था, जबकि, दुर्घटना की तिथि 16.06.2018 और समय लगभग शाम 5:30 बजे है। दुर्घटना के बाद प्रस्ताव प्रपत्र भरा गया था जिस पर उत्तरवादी संख्या 2 के हस्ताक्षर भी हैं। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि पॉलिसी की प्रतिलिपि प्रति-अपील के साथ दाखिल की गई है और पॉलिसी की प्रभावी तिथि 17.06.2018 और समय 0:00 अर्थात् मध्यरात्रि 12:00 बजे है। दुर्घटना के बाद पालिसी प्रभावी हुई थी। पॉलिसी क्रय करते समय समय नकद भुगतान भी दुर्घटना के बाद प्राप्त किया गया था और इसलिए, दुर्घटना की तिथि और समय पर उत्तरवादी संख्या 2 के स्वामित्व वाले



दुर्घटनाकर्ता वाहन की कोई बीमा पॉलिसी नहीं थी और यही कारण है कि, उत्तर में, उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण वाहन के विरुद्ध पॉलिसी के क्रय के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विलंबित स्तर पर संशोधन और वह भी अपीलीय स्तर पर निर्णय पारित होने के बाद प्रकरण के तथ्यों में अनुमेय नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन में यह भी विशेष रूप से अभिवचन नहीं किया गया है कि उचित प्रयास के बाद भी, उत्तरवादी संख्या 2 वह साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सका जिसे व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के उपबंध के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की मांग की गई है। अतः दोनों आवेदन निरस्त किये जा सकते हैं।

6. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है।

7. जहाँ तक व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन पर संबंधित पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने का संबंध है, व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत उपबंध को दिनांक 01.07.2002 को संशोधित किया गया था। व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत, एक परंतुक जोड़ा गया है जो विचारण शुरू होने के बाद संशोधन आवेदन की अनुमति देने को वर्जित करता करता है, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि समुचित तत्परता के बावजूद पक्षकार सुनवाई शुरू होने से पहले प्रकरण उत्थापित नहीं कर सकता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विद्याबाई एवं अन्य विरुद्ध पद्मलता एवं अन्य (2009) 2 SCC 409 के प्रकरण में विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात आवेदन पत्र भरने की विवेचना की गई है तथा इसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:



“10. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 22) के कारण, संसद ने अन्य बातों के साथ-साथ संहिता के आदेश 6 नियम 17 में एक उपबंध जोड़ा है, जो इस प्रकार है:

"परंतु विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी वह पक्षकार, विचारण प्रारंभ होने से पूर्व वह विषय नहीं उठा सकता था।"

इसे अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे आवेदन को अनुज्ञात करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तब तक समाप्त हो जाता है जब तक कि इसके लिए पूर्ववर्ती शर्तें पूरी न हो जाएं, अर्थात् न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि सम्यक् तत्परता के बावजूद पक्षकारों सुनवाई शुरू होने से पहले प्रकरण उत्थापित नहीं कर सकते थे।

11. विचारण न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण उक्त पूर्व शर्त को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए, जो प्रश्न विचार के लिए उठता है, वह यह है कि विचारण शुरू हुआ था या नहीं। हमारे अभिमत में, ऐसा हुआ था। जिस तिथि को विवाद्यक विरचित किये जाते हैं, वह सुनवाई के लिए प्रथम तिथि होती है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपबंधों में कार्यवाही के विभिन्न चरणों में विभिन्न कदम उठाने की परिकल्पना की गई है। हमारे अभिमत में, साक्षी की मुख्य परीक्षा के बदले में एक शपथपत्र दाखिल करना "कार्यवाही की शुरुआत" के तुल्य होगा।

X	X	X
X	X	X

19. यह तय करना न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य है कि क्या पक्षकारों के मध्य वास्तविक विवाद का विनिश्चय करने के लिए इस तरह का संशोधन आवश्यक है। ऐसी शर्त पूरी होने पर ही संशोधन अनुज्ञात किया जाना चाहिए। तथापि, संहिता के आदेश 6 नियम 17 में संलग्न परंतुक न्यायालय की शक्ति को निर्बंधित करता है। यह इसके अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को निर्बंधित करता है। इस तरह के प्रकरण में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। इस प्रकार, जब तक क्षेत्राधिकार तथ्य, जैसा कि उसमें परिकल्पना की गई है, का विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, तब तक न्यायालय के पास वादपत्र के संशोधन की अनुज्ञा देने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।"



8. वर्तमान प्रकरण में, व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष अपीलीय स्तर पर दायर किया गया है। व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदन में उत्तरवादी संख्या 2 ने विशेष रूप से यह अभिवचन नहीं किया है कि संशोधन के माध्यम से दावा आवेदन के जवाब में जिस तथ्य को अभिलेख में लाने की मांग की गई है, वह उसकी जानकारी में नहीं था और यह दावे के प्रकरण का विनिश्चय किये जाने के बाद ही उसकी जानकारी में आया था। व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के परंतुक के अंतर्गत आवश्यक कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

9. गायत्री महिला कल्याण संघ बनाम गौरम्मा, (2011) 2 SCC 330 के प्रकरण में

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

“34. ईश्वरदास [(1979) 4 SCC 163] के प्रकरण में इसे निम्नानुसार विधायित किया गया है : (एस. सी. सी. पृ. 166, कंडिका 5)

"5. अपीलीय न्यायालय के विरुद्ध अभिवचनों में संशोधन की अनुमति देने में कोई बाधा या वर्जन नहीं है ताकि कोई पक्षकार नई याचिका दायर कर सके। केवल इतना आवश्यक है कि अपीलीय न्यायालय को उन सुविधित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जिनके अधीन वाद के संशोधन आमतौर पर दिए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से उन परिस्थितियों में से एक जिस पर संशोधन की अनुज्ञा देने से पहले विचार किया जाएगा, वह है इस तरह के संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में विलंब और यदि अपीलीय स्तर पर किया जाता है, तो इसका कारण है कि इसे विचारण न्यायालय में क्यों नहीं मांगा गया था। यदि आवश्यक सामग्री, जिसके आधार पर संशोधन से उद्भूत अभिवचन का विनिश्चय किया जा सकता है, पहले से ही मौजूद है, तो संशोधन को अन्यथा की तुलना में अधिक आसानी से स्वीकृति दी जा सकती है। परंतु अपीलीय स्तर पर संशोधन की अनुमति देने वाले अपीलीय न्यायालय के विरुद्ध केवल इसलिए कोई निषेध नहीं है क्योंकि आवश्यक सामग्री पहले से ही न्यायालय के समक्ष नहीं है।"



ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि किसी संशोधन को स्वीकृति देने से पहले जिन परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, उनमें से एक है इस तरह के संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में विलंब और यदि यह अपीलीय न्यायालय में किया जाता है, तो इसका कारण है कि इसे विचारण न्यायालय में क्यों नहीं मांगा गया था। वर्तमान प्रकरण में, न केवल आवेदन में पूर्णतः अनुचित विलम्ब हुआ है, परंतु अपीलार्थीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री थी।

36. रेवजीतु बिल्डर्स [(2009) 10 SCC 84] के प्रकरण में इस न्यायालय ने दोहराया था कि अभिवचनों के संशोधन के प्रकरण में न्यायालयों को बहुत व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त है। ये टिप्पणियां अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन के संदर्भ में थीं, जिसमें मूल वादपत्र में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें प्रार्थना खंड को उच्च न्यायालय द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने पर अस्वीकार कर दिया गया था कि अपीलार्थी वादपत्र में संशोधन करने की अनुज्ञा मांगते हुए एक नया प्रकरण पुरःस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो मूल वादपत्र में उसका प्रकरण नहीं था और प्रस्तावित संशोधन, यदि इसे अनुज्ञा दी जाती है, तो निश्चित रूप से उत्तरवादीगण के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसा कोई भी संशोधन, जो वाद के पूरे स्वरूप को बदल देता है, की अनुमति नहीं दी जा सकती है और वह भी, चार साल के अंतराल के बाद और वाद संस्थित करने के उपरांत।

38. हमारे अभिमत में, निचली विचारण न्यायालय का निर्णय उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप है। विचारण न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि कब्जे के अनुतोष के लिए वाद हेतुक कई वर्ष पूर्व उत्तरवादीगण के समक्ष उद्भूत हो गया था। इसलिए, यदि कोई हो तो, उनके पास स्वतंत्र वाद के लिए वाद हेतुक हो सकता है। उपरोक्त प्रकरण में, न्यायालय ने आगे गंगा बाई बनाम विजय कुमार [(1974) 2 SCC 393] के प्रकरण के सिद्धांत को दोहराया था जिसमें उचित रूप से यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया था : (एस. सी. सी. पृ. 399, कंडिका 22)

"22. ... संशोधन की अनुमति देने की शक्ति निस्संदेह व्यापक है और किसी भी स्तर पर परिसीमा विधि के बावजूद न्याय के हित में उचित रूप से प्रयोग की जा सकती है। परंतु इस तरह की दूरगामी वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग न्यायिक विचारों द्वारा नियंत्रित होता है और





विवेकाधिकार जितना व्यापक होगा, न्यायालय की ओर से उतनी ही अधिक सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए। "

10. शिवशंकर और अन्य विरुद्ध एच. पी. वेदव्यास चार (2023) 13 SCC 1 के प्रकरण में

, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया था :

"24. हम इस स्थापित स्थिति से अनभिज्ञ नहीं हैं कि याचिकाओं में संशोधन के लिए प्रार्थनाओं पर कार्यवाही करने में न्यायालयों को अति-तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। परंतु साथ ही, हमें इस स्थिति को स्मरण रखना चाहिए कि इसे लिखित कथन के संशोधन के लिए आवेदन के माध्यम से केवल अनुरोध पर स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से अपीलीय स्तर पर, जहां, प्रश्न विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का है और दूसरे शब्दों में, प्रतिकूल डिक्री के बाद और बिना किसी वास्तविक, स्थायी कारण के। संक्षेप में, विशेष प्रकरण में उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या ऐसी प्रार्थना स्वीकार्य है या नहीं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है।

X	X	X
X	X	X

43. समग्र परिस्थितियों में, विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा लिखित कथन के संशोधन के लिए अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए समनुदेशित प्रासंगिक कारणों को ध्यान में रखते हुए और विलंब और उसके लिए कोई कारण प्रस्तुत करने में विफलता और यहां उल्लिखित कारणों पर ध्यान देते हुए, इससे पहले कि हम लिखित कथन के संशोधन के लिए अनुरोध की अस्वीकृति के साथ किसी भी विकृति या अवैधता को रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं। "

11. वर्तमान प्रकरण में, वाहन का स्वामी होने के नाते उत्तरवादी संख्या 2 इस तथ्य से

अच्छी तरह भिन्न था कि उसने दुर्भाग्यपूर्ण वाहन की पॉलिसी क्रय की है, तथापि, उसने

लिखित कथन में बीमा कंपनी द्वारा अपने वाहन का बीमा किए जाने का कोई

अभिवचन नहीं किया है। उत्तरवादी संख्या 2 विद्वान अधिकरण के समक्ष साक्षी के

रूप में उपस्थित नहीं हुआ था। विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से



दर्शित होता है कि उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आक्षेपित अधिनिर्णय को पूरा करने का दायित्व उत्तरवादी संख्या 1 और 2 पर आवद्ध किया गया था। यह निर्णय दिनांक 17.03.2020 का है, तथापि, उत्तरवादी संख्या 2 ने किसी भी आधार पर इस न्यायालय के समक्ष निर्णय को चुनौती नहीं दी है, परंतु प्रतिकर की राशि में वृद्धि की मांग करने वाले दावेदार द्वारा दायर अपील में सूचना प्राप्त होने के बाद प्रति-अपील दायर की है।

12. अनुलग्नक आर-1, जो प्रस्तावित उत्तरवादी (बीमा कंपनी) के एजेंट द्वारा दाखिल प्रस्ताव 'फॉर्म' की प्रति है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्ताव प्रपत्र दिनांक 16.06.2018 को लगभग 6:40 बजे भरा गया था, जबकि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्र०सू० रिपोर्ट की प्रति प्रदर्श पी-2 दर्शाती है कि दुर्घटना की तिथि 16.06.2018 और समय लगभग 5:30 बजे था और प्र०सू० रिपोर्ट दिनांक 16.06.2018 को रात्रि 8:25 बजे (20:25 बजे) दर्ज की गई थी। अंतिम रिपोर्ट की प्रति को प्रदर्श पी-1 के रूप में भी अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्वेषण के बाद, भा०द०सं० की धारा 304 (क) के अंतर्गत और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 3/181,139/192,246/196,56/192 के अंतर्गत कथित अपराध के लिए अभियोग पत्र दायर किया गया है। धारा 246/196 के अंतर्गत अपराध के लिए अभियोग पत्र दायर किया गया था जो गैर-बीमित वाहन चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है। जाँच एजेंसी से पहले भी अपीलार्थी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि दुर्घटना की तिथि को वाहन का बीमा किया गया था। बीमा पॉलिसी की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई थी और इसलिए जब्ती ज्ञापन में बीमा पॉलिसी की प्रति की जब्ती का कोई उल्लेख नहीं है।



13. व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के परंतुक के अंतर्गत, यह विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संशोधन के लिए आवेदन को विचारण शुरू होने के बाद ही अनुज्ञा दी जानी चाहिए, जब आवेदक न्यायालय का समाधान कर दे कि सम्यक तत्परता के बाद भी पक्षकार प्रकरण को विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकता था। आवेदन में, ऐसी कोई अभिवचन नहीं किया गया है, परंतु अस्पष्ट अभिवचन किया गया है कि अधिवक्ता की गलत सलाह के कारण दावा आवेदन के उत्तर में तथ्य का अभिवचन नहीं किया गया है। व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के परंतुक के अनुपालन और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के अभाव में, इस न्यायालय के अभिमत में, उत्तरवादी संख्या 2 यह प्रकरण बनाने में विफल रहा कि सम्यक तत्परता के बाद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण नहीं उठा सका।

14. पूर्वगामी विवेचनाओं के लिए, मुझे व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत दायर आवेदन को अनुज्ञात करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं मिलता है। आवेदन गुणदोष से रहित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है और तदनुसार, निरस्त किया जाता है।

15. जहाँ तक व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत यर आवेदन का संबंध है, आवेदन के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किया गया है कि अपीलीय चरण में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त साक्ष्य को विद्वत दावा अधिकरण के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा सका। व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 का उपबंध यह अनिवार्य करता है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग करने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के प्रयोग के बावजूद, ऐसा साक्ष्य उसकी जानकारी में नहीं था या सम्यक तत्परता के बाद, उसके द्वारा उस समय



प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था जब उसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी। इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किया गया है कि जिस साक्ष्य को प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वह उसके ज्ञान में नहीं था या सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी ऐसा साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत विशिष्ट अभिवचन और उत्थापित आधार के अभाव में, इसे नियमित रीती से अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।

16. जगदीश प्रसाद(मृत) द्वारा विधिक उत्तराधिकारी और अन्य विरुद्ध शिवनाथ और अन्य (2019) 6 SCC 82 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार

निर्धारित किया है :

"29. व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत , अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, केवल तीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने की अनुमति है जो हैं:

(I) जहां विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तथापि इसे स्वीकार किया जाना चाहिए था;

(II) सम्यक तत्परता के बावजूद पक्षकार को साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था; और

(III) अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता थी ताकि वह निर्णय देने में सक्षम हो सके या समान प्रकृति के किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए।

यदि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तत्पर नहीं था तो अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, न्याय के हित में और जब संतोषजनक कारण दिए जाते हैं, तो न्यायालय अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त कर सकती है।

30. भारत संघ विरुद्ध इब्राहिम उद्दीन [भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन, (2012) 8 एस. सी. सी. 148: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 362] के प्रकरणों में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार



अभिनिर्धारित किया था: (एस. सी. सी. पृष्ठ. 167-68 और 170, कण्डिका 36-37, 40 और 47)

"36. सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परे विचार नहीं करना चाहिए और अपील में कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथापि, एक अपवाद के रूप में, व्य०प्र०सं० का आदेश 41 नियम 27 अपीलीय न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति केवल तभी दे सकता है जब इस नियम में अधिकथित शर्तें मौजूद पाई जाएं। पक्षकारों को अधिकार के रूप में ऐसे साक्ष्य स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, यह उपबंध तब प्रयोज्य नहीं है, जब अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर, अपीलीय न्यायालय संतोषजनक निर्णय दे सकता है। प्रकरण पूरी तरह से न्यायालय के विवेकाधीन है और इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। इस तरह का विवेकाधिकार केवल एक न्यायिक विवेकाधिकार है जो नियम में निर्दिष्ट परिसीमा से निर्बंधित है। (के. वेंकटरमैया विरुद्ध ए. सीताराम रेड्डी [के. वेंकटरमैया विरुद्ध ए. सीताराम रेड्डी, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1526], नगर निगम, ग्रेटर बॉम्बे विरुद्ध लाला पंचम [नगर निगम, ग्रेटर बॉम्बे विरुद्ध लाला पंचम, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1008], सुंडा राम विरुद्ध रामेश्वरलाल [सुंडा राम विरुद्ध रामेश्वरलाल, (1975) 3 एस. सी. सी. 698] और सैयद अब्दुल खादर विरुद्ध रामी रेड्डी [सैयद अब्दुल खादर विरुद्ध रामी रेड्डी, (1979) 2 एस. सी. सी. 601]। के अनुसार)

37. अपीलीय न्यायालय को सामान्यतः किसी पक्ष को अपील में नया विवादक उत्थापित करने के लिए नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी तरह, जहां एक पक्ष जिस पर एक निश्चित तथ्य को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी है, जब वह दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तब वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक नए अवसर का हकदार नहीं है, क्योंकि न्यायालय, ऐसे प्रकरण में, उसके विरुद्ध निर्णय सुना सकती है और उसे निर्णय देने के लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। (हाजी मोहम्मद इशाक विरुद्ध मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली एंड कंपनी [हाजी मोहम्मद इशाक विरुद्ध मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली एंड कंपनी, (1978) 2 एस. सी. सी. 493]।



40. पक्षकार की असावधानी या इसमें अंतर्वलित विधिक मुद्दों को समझने में उसकी असमर्थता या किसी अभिवक्ता की गलत सलाह या किसी अभिवक्ता की उपेक्षा या यह कि पक्षकार को किसी दस्तावेज़ के महत्व का एहसास नहीं था, इस नियम के अर्थ के भीतर एक "ठोस कारण" का गठन नहीं करता है। केवल यह तथ्य कि कुछ साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, अपील में उस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए अपने आप में पर्याप्त आधार नहीं है।

47. जहां प्रस्तुत किए जाने वाला अतिरिक्त साक्ष्य प्रकरण को संदेहमुक्त करता है और इस साक्ष्य का वाद में मुख्य विवादक से प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण संबंध है और न्याय के हित में, यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि इसे अभिलेख पर स्वीकार किया जा सकता है, ऐसे आवेदन अनुज्ञात किया जा सकता है। "

17. पूर्वगामी विवेचनाओं के आधार पर, मुझे अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए

व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दायर आवेदन की अनुमति देने के लिए

कोई अच्छा आधार नहीं मिला। वैसे भी, प्रति-अपील के साथ दायर की गई पॉलिसी की

प्रति उत्तरवादी संख्या 2 के पास थी, परंतु उसने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री

प्रस्तुत नहीं की है कि उसमें उल्लिखित पॉलिसी की प्रभावी तिथि को उसने किसी भी

प्राधिकरण के समक्ष किसी भी तरह से चुनौती दी हो, जिसमें कोई कारण न बताया

गया हो, परंतु संशोधन की मांग करने वाली अर्जी दाखिल करने और व्य० प्र० सं० के

आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत अर्जी दाखिल करने के लिए। बीमा पॉलिसी जारी करने

की तिथि, विशेष रूप से पॉलिसी जारी करने की प्रभावी तिथि को चुनौती न दिए जाने

के कारण, इस न्यायालय के अभिमत में, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना

कि प्रतिवादी संख्या 2 ने दुर्घटना की तिथि से पहले ही राशि जमा कर दी है, स्वीकार्य

नहीं है। पॉलिसी को जैसा है वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए और जब पॉलिसी दिनांक

17.06.2018 से प्रभावी हो गई है तो यह उत्तरवादी संख्या 2 को कोई लाभ नहीं देगा



जब दुर्घटना पैसे देने से पहले घटित हो गई थी, जब प्रस्ताव प्रपत्र दिनांक 16.06.2018 को लगभग शाम 6.40 बजे भरा गया था और पॉलिसी दिनांक 17.06.2018 को मध्य रात्रि 00.00 बजे प्रभावी हुई थी।

18. न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी विरुद्ध भगवती देवी (1998) 6 एस. सी. सी. 534 के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अवधारित किया था कि किसी विशिष्ट समय और तिथि के अभाव में, बीमा पॉलिसी पिछली मध्य रात्रि से प्रचालित हो जाती है। परंतु जब विशिष्ट समय और तिथि का उल्लेख किया जाता है, तो बीमा पॉलिसी उस समय से प्रभावी हो जाती है।

19. पूर्वगामी विवेचनाओं के लिए, उत्तरवादीगण द्वारा व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत और दूसरा व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दायर दोनों आवेदन एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

20. जहां तक सी. व्य०प्र०सं० के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत दायर आवेदन (अंतरिम आवेदन संख्या 6) का संबंध है, चूंकि दुर्घटना की तिथि और समय पर वाहन का बीमा नहीं किया गया था, और व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत आवेदन को और व्य० प्र० सं० के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत आवेदन को निरस्त किया गया है, परिणामस्वरूप, व्य० प्र० सं० के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन भी निरस्त किया जाता है।

21. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, प्रतिकर की राशि बढ़ाने के लिए दावेदार/आवेदक द्वारा दायर अपील के साथ-साथ व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 22 सहपठित 1994 के नियमों के नियम 242 (3) के अंतर्गत



उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-अपील की सुनवाई अंततः गुणदोष के आधार पर की जाती है।

22. यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") के अंतर्गत दायर दावेदार की अपील है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण संख्या 103/2018 में पारित किए गए अधिनिर्णय दिनांक 17.03.2020 के माध्यम से ज्ञात प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कटघोरा (छ.ग.) द्वारा दिए गए प्रतिकर की राशि को बढ़ाने की मांग की गई है, जिसमें विद्वान दावा अधिकरण ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिकर के रूप में 10,77,816/- रुपये अधिनिर्णीत किया था और प्रतिकर राशि संदत्त करने की जिम्मेदारी उत्तरवादियों पर आबद्ध की थी।

23. इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि दावेदार/अपीलार्थी ने 1988 के अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था जिसमें अभिवचन किया गया था कि दिनांक 16.6.2018 की शाम लगभग 5:30 बजे, अनावेदक संख्या 1 मणिराम ने पंजीकरण संख्या CG/12/AN 1986 संख्याकित एक माल वाहक वाहन को उतावलेपूर्ण रीती से और लापरवाहीपूर्ण रीती से चलाते हुए, आवेदक के बेटे कमल नारायण की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे लगी चोटों के कारण कमल नारायण सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। आवेदन में यह अभिवचन किया गया था कि दुर्घटना के समय कमल नारायण की आयु 31 वर्ष थी और वह जी. वी. के. आपातकालीन प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान में चालक के रूप में कार्यरत था और ₹13, 000/- प्रति माह उपार्जन करता था। दावेदार (मृतक कमल



नारायण की माँ) ने उत्तरवादियों से विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल ₹30,00,000/- के प्रतिकर की मांग की थी।

24. अनावेदक संख्या 1 द्वारा कोई लिखित कथन दायर नहीं किया गया था।
25. अनावेदक संख्या 2 ने अपना लिखित कथन दायर करके दावा आवेदन में किये गए अभिवचनों का खंडन किया और कथन किया कि अनावेदक संख्या 2 के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई थी, इसलिए वह कोई भी प्रतिकर संदत्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और उसके विरुद्ध दावा आवेदन को निरस्त किया जाये।
26. विद्वत् दावा अधिकरण ने संबंधित पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किये गए अभिवचनों और साक्ष्यों की विवेचना के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया था कि दुर्घटना की तिथि को अनावेदक संख्या 1 द्वारा दुर्घटनाकर्ता वाहन को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से चलाया जा रहा था, जिसके कारण, उक्त दुर्घटना कारित हुई थी, जिसमें कमल नारायण को गंभीर चोटें आई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना की तिथि को मृतक की आय ₹11,340/- प्रति माह के रूप में आकलित करते हुए और विभिन्न शीर्षों के तहत दावेदार को हुए नुकसान की गणना करते हुए ₹10,77,816/- कुल प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया था।
27. अपीलार्थी/दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह अपील दावेदार द्वारा दो आधारों पर प्रतिकर की राशि बढ़ाने के लिए दायर की गई है। पहला आधार 16 के स्थान पर 11 का गलत गुणक लागू करने से संबंधित है, क्योंकि दुर्घटना की तिथि को मृतक की आयु लगभग 31 वर्ष थी और दूसरा यह कि विद्वान न्यायाधिकरण ने 'साहचर्य की हानि' के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिकर की राशि अधिनिर्णीत नहीं की है।



28. दूसरी ओर, उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता ने दावेदार/अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया है। उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-अपील में, 'अधिकरण के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता द्वारा दी गई गलत सलाह, पॉलिसी की प्रभावी तिथि, प्रीमियम का भुगतान, बीमा कंपनी के अधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं होने' को आधार बनाया गया है।
29. प्रति-अपील में उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा लिए गए आधारों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि ये आधार व्य०प्र०सं० के आदेश 6 नियम 17 और आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत दायर आवेदन में उत्तरवादी द्वारा उत्थापित आधारों के समविषयक हैं। उक्त दोनों आवेदनों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया है जैसा कि यहाँ ऊपर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्तरवादीगण के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य ठोस या प्रेरक आधार नहीं दिया गया है जो वर्तमान प्रति-अपील की ग्राह्यता को उचित ठहराता है।
30. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, व्य०प्र०सं० के आदेश 41 नियम 22 के अंतर्गत उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा दायर प्रति-अपील निरस्त की जाती है।
31. आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से दर्शित होता है कि विद्वान अधिकरण ने मृतक की आयु को देखते हुए, जैसा कि शव परीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, मृतक की आयु का आकलन 31 वर्ष के रूप में किया है, तथापि, विद्वान अधिकरण ने गलती से दुर्घटना की तिथि को मृतक की आयु को देखते हुए 11 का गुणक लागू किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी के प्रकरण में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि गुणक का अनुप्रयोग मृतक की आयु पर आधारित होना चाहिए। निर्विवाद रूप से,



वर्तमान मामले में मृतक की आयु 31 वर्ष थी और सरला वर्मा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 31 से 35 वर्ष की आयु समूह के लिए उपयुक्त गुणक 16 होगा। इसे तदनुसार आदेशित किया जाता है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 के प्रकरण में 'साहचर्य की हानि' शीर्षक के अंतर्गत प्रकरण के निर्णय पर विचार किया गया था। इसके अतिरिक्त मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू राम उर्फ चुहू राम एवं अन्य (2018) 18 एससीसी 130 के प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साहचर्य की हानि के प्रकारों की व्याख्या की है और इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधवा/पति 'जीवनसाथी के साहचर्य की हानि' के लिए हकदार है, बच्चे 'माता-पिता के साहचर्य की हानि' के लिए हकदार हैं और माता-पिता 'संतान के साहचर्य' की हानि के लिए हकदार हैं।

33. वर्तमान प्रकरण में, दावेदार मृतक की माँ है और इसलिए, वह 'संतान के साहचर्य की हानि' शीर्षक के अंतर्गत ₹40,000/- के प्रतिकर की हकदार है। इसे तदनुसार आदेशित किया जाता है।

34. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और विवेचनाओं में, मुझे प्रतिकर की राशि की पुनः गणना करना उचित लगता है:

स. क्र.	शीर्ष	प्रतिकर
1	(क) आय/निर्भरता की हानि :	: ₹15,24,096/-



	11340 x 12 = ₹136080/- (ख) भविष्य की संभावनाओं के लिए योग @40 प्रतिशत की दर से : (136080 x 40 प्रतिशत = 54432) 136080 + 54432 = ₹1,90,512/- (ग) व्यक्तिगत और जीवन यापन के खर्चों के लिए 50 प्रतिशत की कटौती : (1,90,512 x 50 प्रतिशत = 95256) 1,90,512- 95256 = ₹95256/- (घ) 16 का गुणक : 95256 x 16 का गुणक = ₹15,24,096/-		
4	अंतिम संस्कार का खर्च	:	(+) ₹15, 000
5	संपदा की हानि	:	(+) ₹15, 000/-
8	अपीलार्थी/दावेदार की संतान की साहचर्य की हानि के लिए ₹40,000/-	:	(+) ₹40, 000/-
	कुल प्रतिकर	:	₹15,94,096/-

35. अब अपीलार्थी/दावेदार को दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित ₹10,77,816/- के स्थान पर कुल **₹15,94,096/-** का प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाता है।



36. प्रतिकर की पूर्वनिर्दिष्ट कुल राशि पर दावा आवेदन दाखिल करने की तिथि से इसकी प्राप्ति तक 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। दावेदार को पहले से ही भुगतान की गई प्रतिकर की कोई भी राशि प्रतिकर की कुल राशि से समायोज्य होगी जिसकी इस न्यायालय द्वारा अभी गणना और अधिनिर्णय किया गया है। आक्षेपित अधिनिर्णय की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
37. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी/दावेदार द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आक्षेपित अधिनिर्णय को यहाँ उपर्युक्त सीमा तक संशोधित किया जाता।



सही/-
(पार्थ प्रतिम साहू)
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।